कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-265 दिनांक: 06/9/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 28.वी दिनांक.31/7/2002का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.28.वी दिनांक.31/7/2002प्रात:/~~सायं~~.11:30.बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन.....,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 31.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में।
2. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना पवन वाटिका के खसरा नम्बर 117, 118 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 3.7.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम योजना का मौका निरीक्षण माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जावें तत्पश्चात योजना को पुनः बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

2. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना पवन वाटिका के पूर्व में अनुमोदित योजना के अतिरिक्त खसरा नम्बर 117, 118 के अनुमोदन के संबंध में स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त जोन डी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया:-

   1. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. पवन वाटिका योजना ग्राम श्री राम की नांगल के खसरा न. 128, 129, 130, 131, 398, 399 का अनुमोदन बीपीसी (ले आउट प्लान) की मीटिंग दिनांक 26.2.2002 में किया गया था। योजना मानचित्र में खसरा नम्बर 117, 118 पर भी भूखण्ड प्रस्तावित किये गये थे किन्तु उक्त खसरा नम्बर (117, 118) एग्रीमेन्ट का पार्ट नहीं होने के कारण इस भूमि पर प्रस्तावित भूखण्डों को निरस्त किया गया था। उपायुक्त जोन डी-1 द्वारा अवगत कराया गया है कि

समिति द्वारा खसरा नम्बर 117, 118 का एग्रीमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसकी जांच कर दिनांक 18.7.2002 को 90 बी के आदेश पारित कर दिये गये है। इन खसरा नम्बर में कुल 13 भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है जिनको योजना में सम्मिलित करने पर कुल आवासीय क्षेत्रफल 60.20 प्रतिशत हो जाता है। अतः वाद विचार विमश पश्चात निर्णय लिया गया कि खसरा नम्बर 117, 118 की सीमा में प्रस्तावित भूखण्डों का नियमन कर दिया जावें।

2. भूखण्ड संख्या बी-3, 4, 8, 9, 10, 11 का नियमन L.T. Line शिफ्ट होने के पश्चात किया जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 31.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से लालकोठी योजना में स्थित पथिक भवन गृ.नि.स.स. की ग्रेटर कैलाश योजना के अनुमोदन के संबंध में एजेन्डा प्रस्तुत किया गया।

लालकोठी योजना में स्थित पथिक भवन गृ.नि.स.स. की ग्रेटर कैलाश योजना, के अनुमोदन के संबंध में योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष उपायुक्त लालकोठी द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 70, 69, 68, 67, 66, 65, 60, 04, 14, 54, 55, 56, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 का कब्जा ले लिया गया है अतः इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें।
2. भूखण्ड संख्या सी-23 व सी-22 के मध्य स्थित लिंक सडक को 30' रखा जावें।
3. भूखण्ड संख्या सी-49 व सी-15 के मध्य स्थित भूमि के बारे में दिनांक 27.7.2002 को एडवोकेट मकबूल हुसैन, राजस्थान उच्च न्यायालय का नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त भूमि पर भूखण्ड संख्या 46 श्रीमती प्रकाश देवी का होना बताया गया है तथा नोटिस में उक्त भूखण्ड के उपर अस्थाई निषेद्याज्ञा का आदेश होना बताया गया है। जबकि जोन द्वारा प्राप्त सर्वे रिर्पोट में मौके पर यह भूमि सडक के रूप में उपयोग में ली जा रही है। यह सभी तथ्य उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या सी-45 व

सी-48 के मध्य स्थित भूमि पर 40' सडक को यथावत रख कर इस 40' सडक से जनपथ तक "L" Shape में 40' रखा जावें।

4. योजना की सभी सडकें 30' की जावें जहां कही 30' से ज्यादा सडक उपलब्ध है वहां उपलब्ध भूमि को सडक का ही भाग मानकर उपलब्ध चौडाई अनुसार सडक सीमा रखी जावें।

5. नियमन योग्य भूखण्डों में सैट बैक जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार लगाये जावें।

इसके अतिरिकत उपायुक्त जोन द्वारा व उप नगर नियोजक जोन द्वारा लालकोठी योजना में स्थित इन्द्रपुरी व कृष्णा नगर I, II स्कीमों में सडकों की चौडाई निर्धारित किये जाने में आ रही कठिनाईयों के बारे मे समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इन योजनाओं का मौका निरीक्षण कर सुझाव दिये जावें। जोन द्वारा इन सुझावों को मध्येनजर रखते हुए योजनाओं का परीक्षण कर बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 28वी बैठक दिनांक 31-7-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

1. विषय :- शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना आनन्द विहार बी कॉलोनी की अनुमोदित सडकों में संशोधन बाबत।

उपायुक्त जोन बी-8 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

(1) भूखण्ड संख्या 75 और 76 के सामने की रोड को 40 फिट के स्थान पर 30 फिट अनुमोदित किया जावे।

(2) भूखण्ड संख्या 28 और 29 के सामने की 40 फिट चौडी रोड को 30 फिट अनुमोदित किया जावे।

(3) भूखण्ड संख्या 18 से 28 के सामने की 30 फिट चौडी रोड को 40 फिट अनुमोदित किया जावे।

(4) भूखण्ड संख्या 83 से 86 एवं 107 के सामने की 40 फिट रोड को 30 फिट किया जावे ।

2. विषय :-शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना आनन्द विहार बी में एच. टी लाईन से प्रभावित भूखण्ड़ों के गलत पट्टा जारी होने के बाबत।

उपायुक्त जोन बी-8 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 82बी, बी.ए.11 व 129 एच.टी. लाईन से प्रभावित है एवं प्राधिकरण द्वारा पट्टा जारी किया जा चुका है। इन भूखण्डधारियों को नोटिस दिया जावे कि उनके भूखण्ड के समीप से गुजरने वाली एच.टी. लाईन से 50 फिट की दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे यदि कोई निर्माण कार्य उनके द्वारा किया जाता है तो उनकी स्वयं की जिम्मेवारी होगीं।

3. विषय :-नानकपुरी गृ.नि.स.स. की योजना गोम्स डिफेन्स के भूखण्ड संख्या 310, 311, 274 व 284 के मध्य सडक के सम्बन्ध में ।

उपायुक्त जोन बी-8 द्वारा प्रस्तुत एजेंडा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। वाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया:-

भूखण्ड संख्या 310, 311, 274 व 284 के सामने की 30 फिट चौडी रोड को 20 फिट अनुमोदित किया जावे तदनुसार ही योजना मानचित्र में भी संशोधन किया जावे।

4. विषय :- तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की योजना नेमी नगर के भूखण्ड संख्या ए-30 से ए-32(3 भूखण्ड)के पुनर्गठन बाबत।

पूर्व में प्रकरण में भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 21वीं बैठक दिनांक 7-6-2002 में विचार-विमर्श हुआ था जिसमें निम्नांकित निर्णय लिये गये थे-

"(1) भूखण्ड संख्या 31 व 32 का पुनर्गठन किया जावे और भूखण्ड संख्या 30 का अलग पट्टा दिया जावे।
(2) अनधिकृत निर्माण हेतु नियमानुसार पैनल्टी वसूल की जावे।"

प्रार्थी ने पुन: आवेदन किया कि तीनों भूखंडों का पुनर्गठन किया जावे। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र मौके की रिपोर्ट आदि पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये-

(1) भूखण्ड संख्या ए-30 से ए-32 तीनों भूखण्डों का पुनर्गठन किया जावे।
(2) अनधिकृत निर्माण हेतु नियमानुसार पैनल्टी वसूल की जावे।
(3) आवेदक के भूखण्ड संख्या ए-32 व ए-30 के सामने अनुमोदित मानचित्र में 30 फिट चौडी सडक अनुमोदित है जबकि मौके

पर उक्त भूखण्डों के सामने 28 फिट चौडी सडक ही उपलब्ध है। अतः इस रोड को 30 फिट किया जावे।

5. विषय :-गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की योजना गायत्री नगर के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेंडा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। वाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गयाः-

(1) चूंकि योजना में 92 प्रतिशत निर्माण है। अतः निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 30 फिट चौड़ी (न्यूनतम) आंतरिक सडकें रखी जावे।

(2) जोन के प्रस्ताव के अनुसार भूखण्ड संख्या ए-14 जिसमें निजी स्कूल भवन निर्मित है तथा भूखण्ड संख्या 7-फ का पश्चिमी भाग में स्थित भूखण्ड संख्या 7-जी एवं ओपन एरिया को सुविधा क्षेत्र में रखा जावे।

6. विषय :-गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार व गणेश नगर विस्तार योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन बी-8 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। वाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि निम्नांकित संशोधन के साथ समिति संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करे:-

(अ) गणेश विहार

(1) मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित 200 फिट एवं 100 फिट चौडी रोड को मानचित्र में दर्शायें।

(2) मुख्य सडकों पर सडक के साथ-साथ जो दुकानें प्रस्तावित की गयी है उनमें किसी भी प्रकार का पार्किंग प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः समुचित पार्किंग प्रावधान रखते हुए संशोधित करे।

(3) योजना में दर्शित 30 फिट से कम चौडी सडकों अथवा लैनों को न्यूनतम 30 फिट दर्शाया जाये।

(4) योजना में से श्मसान की ओर जाने वाली सडक को भूखण्ड प्रस्तावित देखकर बन्द किया हुआ है। अतः भूखण्ड को हटाकर उस स्थल पर सडक प्रस्तावित की जावे।

(5) मानचित्र में प्रस्तावित स्वामित्व की सीमा दर्शायी जावे।

(6) योजना में प्रस्तावित दुकानों के साथ आवासीय भूखण्ड दर्शाये गये इस प्रकार व्यावसायिक व रिहायसी साथ-साथ उपयुक्त नहीं है। अतः योजना में तदनुसार संशोधन किया जावे।

(ब) गणेश नगर विस्तार

(1) मुख्य सडकों पर सडक के साथ-साथ जो दुकानें प्रस्तावित की गयी है उनमें किसी भी प्रकार का पार्किंग प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः समुचित पार्किंग प्रावधान रखते हुए संशोधित करे।

(2) मानचित्र में प्रस्तावित स्वामित्व की सीमा दर्शायी जावे।

(3) योजना में प्रस्तावित दुकानों के साथ आवासीय भूखण्ड दर्शाये गये इस प्रकार व्यावसायिक व रियायसी उपयुक्त नहीं है। अतः योजना में तदनुसार संशोधन किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषय:- मित्र गृ.नि.स.स. की योजना न्यू सांगानेर बाई पास का वाटर बॉडी से आवासीय तथा भू.सं. एसएम 23 से एसएम 26 का भू-उपयोग वाटर बॉडी से व्यावसायिक प्रयोजन में बदलने के संबंध में।

मित्र गृ.नि.स.स. की योजना न्यू सांगानेर बाई पास को स्वीकृती हेतु भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 12-6-02 में विचारार्थ रखा गया था। इस भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 से वाटर बॉडी होने के कारण वाटर बॉडी से आवासीय प्रयोजन से भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त पर इस योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। इस योजना की भूमि का भू-उपयोग वाटर बॉडी से आवासीय प्रयोजन से भू-उपयोग परिवर्तन करने एवं भू.सं. एसएम 23 से एसएम 26 में मौके पर पेट्रोल पम्प होने के कारण इन भूखंडों का पुनर्गठन तथा इन भूखंडो का भू-उपयोग परिवर्तन वाटर बॉडी से व्यावसायिक प्रयोजन में करने हेतु प्रकरण उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण ने वाटर बॉडी से व्यावसायिक प्रयोजन में भू-उपयोग परिवर्तन न करने के संबंध में अपनी राय व्यक्त की समिति के अन्य सदस्य वाटर बॉडी से व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में सहमत थे। इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

1- योजना की कुल भूमि (रोड 160-0" गोपालपुरा बाई पास) एवं पेट्रोल पम्प हेतु भू.सं. एसएम 23 से एसएम 26 का क्षेत्रफल कम करते हुए लगभग 23500 व.ग. भूमि का भू-उपयोग वाटर बॉडी से आवासीय किये जाने हेतु धारा 25 (3) के तहत जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगें जावे।

2- भू.सं. एसएम 23 से एसएम 26 का कुल क्षेत्रफल 1050 व.ग. का पुनर्गठन स्वीकार करते हुए इस भूमि का भू-उपयोग वाटर बॉडी से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने हेतु धारा 25 (3) के तहत जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगें जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..28वीं....बैठक दिनांक...31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर ग्रा० उ-5 :

विषय:- शिव शक्ति गृ.नि.स.स. की योजना जैम विहार के भू.सं. 68ए,69ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने, भू.सं. 117 का स्थान परिवर्तन करने, भू.सं. 115, 116 के बीच की सडक का एंगिल बदलने बाबत् ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि आवेदक को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषयः- लक्ष्मी गृ०नि०स०स० की योजना भू०सं० 109, 110, 111 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि आवेदक को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन-B-2 :

विषय:- हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना पटेल नगर के भू.सं. 1 से 6 तक को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में नितिगत निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन-5 :

विषय:- पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 10बी के लो लाइंग एरिया से प्रभावित भूखंडो के स्वीकृति के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 19-6-02 में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही विवरण में हुई त्रुटी को संशोधित करते हुए भू.सं. 211 से 217 (कुल 7 भूखंड) भू.सं. 233, भू.सं. 260 से 273 (कुल 14 भूखंड) को लो लाइंग एरिया से प्रभावित भूखंडो को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...28वीं...बैठक दिनांक 31-7-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषय:- न्यू पिंक सिटी गृ.नि.स.स. की योजना बरकत नगर के भू.सं. 500 के उपविभाजन स्वीकृति के संबंध में ।

भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 24 वीं दिनांक 26-6-02 में उपरोक्त प्रकरण विचारार्थ रखा गया था । जिसमें वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण कर बैठक में रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था । वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) ने मौके का स्थल निरीक्षण किया व मौके की रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की । विचार-विमर्श पश्चात् समिति यह निर्णय लिया कि प्रार्थी को अपना पत्र प्रस्तुत करने हेतु बीपीसी की आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे तथा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन A-1 :

विषय:- स्वास्तिक गृ.नि.स.स. की योजना गौरव नगर के भू.सं. 103, 103ए के नियमन वास्ते ।

प्रकरण को पूर्व में भवन मानचित्र समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया था । जिसमें सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के संबंध में निर्णय लिया गया था । सदस्यों द्वारा मौका देखने के पश्चात् प्रकरण को बैठक में पुन: बैठक में विचारार्थ रखा गया । समिति के समक्ष आवेदक भी उपस्थित हो । उन्होने बताया कि भू.सं. 103 व 103ए को मिलाकर एक ही भूखंड स्वीकृत किया जावे तथा इस भूखंड में सैट बैक छोडने के पश्चात् जो भी आच्छादित क्षेत्र मिलेगा वह उसी में निर्माण कार्य करेगी । समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् दोनों भूखंडों को एक करते हुए भूखंड को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 28वीं बैठक दिनांक 31-7-2002 को प्रात: 11·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए -

1·	श्री अशोक तंवर, विधायक	सदस्य
2·	श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य	सदस्य
3·	श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।	सदस्य
4·	श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर	सदस्य
5·	श्री ओ·पी·यादव,अति·आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा;	सदस्य
6·	श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1· श्री पी·अरविन्द वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा·जयपुर ।
2· श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा·जयपुर ।
3· श्री नीरज त्रिवाडी,उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा,जयपुर ।
4· श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा,जयपुर ।
5· श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर ।
6· श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा ,जयपुर ।
7· श्री निरंजन खींवा, उपायुक्त जोन लालकोठी, जविपप्रा, जयपुर ।
8· श्री रमेश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन बी-4,जविप्रा, जयपुर ।
9· श्री पवन कुमार जैन, उपायुक्त जोन बी-5, जविप्रा,जयपुर ।
10· श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा, जयपुर ।
11· श्री हनुमान सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन बी-7,जविप्रा·जयपुर ।
12· श्री बी·एस· परमार, उपायुक्त जोन बी-8,जविप्रा, जयपुर ।
13· श्रीमती सुषमा अरोडा; उपायुक्त जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर ।
14· श्री मती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन डी-1; जविप्रा, जयपुर ।
15· सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
16· श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक,जोन लालकोठी,जविप्रा,जयपुर ।
17· सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
18· सहायक नगर नियोजक जोन बी-5, जविप्रा, जयपुर ।
19· श्री ज·न· वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर ।
20· श्री श्रीनाथ महेश्वरी, सहाकय नगर नियोजक, जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर ।
21· सहायक नगर नियोजक, जोन डी-1, जविप्रा, जयपुर ।